

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500

21 JUN 2022
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये




Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 708450

किराया नामा (लीज डीड)



मासिक किराया -1000 रु०
वार्षिक किराया -12000 रु०
मालियत -72000 रु०
अवधि - 30 वर्ष
स्टाम्प -1500 रु०

हम कि हरिश्चन्द्र महाविद्यालय सरौली द्वारा प्रबंधक हरिश्चन्द्र शुक्ल पुत्र राजदत्त साकिन सरौली परगना खंडासा तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या प्रथम पक्ष के है | व्यवसाय शिक्षक- मो. 9450714689 व आधार सं० *****9364 - व.....

हरिश्चन्द्र सैक्रेज ऑफ फार्मसी
सरौली-अयोध्या

प्रबन्धक
हरिश्चन्द्र सैक्रेज ऑफ फार्मसी
सरौली-अयोध्या

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500



21 JUN 2022
FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL


Ah 70845

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हरिश्चन्द्र कालेज ऑफ फार्मेसी सरौली अयोध्या द्वारा प्रबंधक
हरिश्चन्द्र शुक्ल पुत्र राजदत्त साकिन सरौली परगना खंडासा
तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या व्यवसाय शिक्षक- मो.
9450714689 द्वितीय पक्ष

जो कि प्रथम पक्ष मौजा सरौली परगना खंडासा तहसील मिल्कीपुर
जिला अयोध्या में स्थित भूमि नं० 483 / 0.055 हे० में से रकबा
0.030 हे० व 489 / 0.040 में से 0.020 हे० व 490 / 0.171
हे० में से 0.125 हे० व 514 / 0.065 हे० में से 0.045 हे० व
515 / 0.030 हे० में से 0.015 हे० व 516 / 0.120 हे० में से
0.090 हे० व 493 / 0.585 हे० में से 0.285 हे० व 441
0.405 हे० में से 0.240 हे० कुल आठ किता रकबा 0.850 हे०
8500 वर्ग मीटर जिसे हम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष के
निम्न 1000 रु० मासिक किराया 12000 रु० वार्षिक किराए पर
द्वितीय पक्ष को PCI / BTE / AKTU से सम्बन्धित पाश्चात्तम


प्रियाय
हरिश्चन्द्र कालेज ऑफ फार्मेसी
सरौली-अयोध्या


प्रियाय
हरिश्चन्द्र कालेज ऑफ फार्मेसी
सरौली-अयोध्या



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 708452

संचालित करने के लिए दे दिया | जिसकी चौहद्दी :- पूरव भूमि रामा देवी
आदि, पश्चिम पक्की सड़क, उत्तर भूमि हरिश्चन्द्र शुक्ल, दक्षिण पक्की सड़क है |
जो हर प्रकार के भार झंझट रेहन बन्धक से पाक व साफ है | उक्त भूमि
आवादी है जो जमींदारी विनाश अधिनियम के बाहर है | इसलिए प्रथम पक्ष
लीज पर देने के लिए अधिकृत है उक्त संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की है | जिसे
किराया (लीज डीड) पर देने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष
अनुसूचित जाति व जनजाति का नहीं है | जिसे प्रथम पक्ष किराए पर देने के
लिए पूर्ण सहमत है | किराया नामा (लीज डीड) की अवधि 02-07-2022
से 01-07-2052 ई० 30 वर्ष तक मान्य होगी |



प्राचार्य
हरिश्चन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मसी
सरोली-अयोध्या



हरिश्चन्द्र
हरिश्चन्द्र महाविद्यालय शिक्षा समिति
सरोली-अयोध्या

उक्त अवधि तक द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर काब्रिज मानिक रद्द कर हर प्रकार का लाभ उठाता रहे या जो चाहे सो करे। उममें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। लीज डीड का किराया 1000 रु० मासिक तथा 12000 रु० वार्षिक की दर से 30 वर्षों का कुल किराया 360000 रु० प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से एक मुश्त प्राप्त कर लिया है। अब उपरोक्त अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से कोई किराया प्राप्त नहीं होगा।

अतः यह लेख किराया नामा (लीज डीड) को हम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी पूर्ण राजी खुशी व






 प्राचार्य
 हरिश्चन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मसी
 सरौली-अयोध्या


 प्रबन्धक
 हरिश्चन्द्र महाविद्यालय शिक्षा समिति
 सरौली-अयोध्या

प्रबन्धक
 हरिश्चन्द्र कॉलेज ऑफ फार्मसी
 सरौली-अयोध्या